संख्या–144 / पॉच–9–2015–9(127) / 12

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषयः–हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफॉरमेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0) के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा वेब आधारित हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) प्रणाली पर डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य सम्बंधी महत्वपूर्ण डाटा शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा भारत सरकार के वेब आधारित हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 1 मार्च, 2015 से प्रभावी होगी। मार्च माह में स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा केवल हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पर उपलब्ध डाटा के आधार पर ही की जाएगी। उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य, महानिदेशालय परिवार कल्याण तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के द्वारा सामान्यतः पृथक से कोई अन्य प्रारूप पर सूचना एकत्रित नहीं की जाएगी। यदि हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूपों के अतिरिक्त किसी कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत अतिरिक्त डाटा की आवश्यकता है तो राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (SPMU), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के माध्यम से हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पोर्टल पर उक्त प्रारूपों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– वर्तमान व्यवस्था से उक्त व्यवस्था को अपनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी किए जाने की आवश्यकता होगी। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जनपद स्तर पर हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पोर्टल पर डाटा फीड कराने के लिए पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जनपदों के ब्लॉक स्तर तक के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों जो कि हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पोर्टल पर डाटा फीड करने के लिए उत्तरदायी है, का सघन प्रशिक्षण कराया जाए। यह प्रशिक्षण सिफ्सा (SIFPSA) के द्वारा उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग ईकाई (UP-TSU) के सहयोग से कराया जा रहा है तथा माह जनवरी, 2015 के अंत तक समस्त जनपदों

में उक्त प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण का कार्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निर्देशन व पर्यवेक्षण में किया जाएगा। मिशन निदेशक उक्त कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करके सभी जिलो को अवगत करायेंगे।

4— इसी प्रकार संसाधनो की उपलब्धता हेतु समस्त जनपदों से आवश्यकता का आँकलन कर, उक्तानुसार संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। उक्त कार्य महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के निर्देशन व पर्यवेक्षण में किया जाएगा। संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (UPHSSP) से भी यथासम्भव सहयोग लिया जा सकेगा। संसाधन संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण अभियान मोड में 31 जनवरी, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाए। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य उक्त कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए सभी जनपदों को अवगत कराएगें।

5— हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) पोर्टल तथा अन्य डाटा के आधार पर प्राथमिकता वाले इंडीकेटरों/कार्यक्रमों की सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में प्रत्येक इंडीकेटर के लिए अंक निर्धारित किए जाएगें। सभी जनपदों की रैकिंग उक्त के आधार पर की जाएगी। इंडिकेटरों की सूची तैयार करने तथा प्रत्येक माह के डाटा के विश्लेषण का कार्य तकनीकी सहयोग ईकाई, उत्तर प्रदेश (UP-TSU) के द्वारा संपादित किया जाएगा। इंडिकेटरों की सूची अनिवार्यतः 31 जनवरी, 2015 तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर व प्रत्येक जनपद स्तर के लिए "HMIS बुलेटिन" भी तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश (UP-TSU) के द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराई जाएगी।

6— माह मार्च से उपरोक्तानुसार स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की जिलावार समीक्षा हेल्थ मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम (HMIS) के वेबपोर्टल पर फीड डाटा के आधार पर ही की जाएगी। डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि, अपूर्ण आदि होने पर संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— डाटा फीडिंग में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक माह फीड किए गए डाटा की गुणवत्ता परीक्षण के लिए रेंडम आधार पर सात जनपदों का चयन किया जाएगा। उक्त टीम का गठन मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के द्वारा किया जाएगा टीम में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य (MH) व परिवार कल्याण (FW) तथा तकनीकी सहयोग ईकाई, उत्तर प्रदेश (UP-TSU) के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा। यदि परीक्षण टीम के द्वारा डाटा फीडिंग में वास्तविकता से भिन्नता पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

8— प्रत्येक माह की रैकिंग के आधार पर पाँच सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तथा पाँच सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जनपदों को चिंहित किया जाएगा। उक्त व्यवस्था के आधार पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की परफारमेंस का विश्लेषण किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धित अधिकारी/विभाग कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–144(1)/पॉच–9–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

24/11/15